



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, सोमवार, 01 दिसम्बर, 2025 ई०

अग्रहायण 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1

संख्या 729/93347/2025

देहरादून, दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

### अधिसूचना

राज्यपाल, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय एवं अन्य सहयोगियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिधान) अधिनियम, 2016 की धारा (4) की उपधारा (4) के खण्ड(ब) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में नागरिक केन्द्रित सेवाओं हेतु आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग किये जाने के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 13(4)/2020-EG-II (Pt) दिनांक 23 सितम्बर, 2025 के द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के तहत उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर हों/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा अथवा/एवं ई-कॉवाई0सी0 प्रमाणीकरण हेतु आधार सक्षम बायोमैट्रिक प्रणाली (ए0ई0बी0एस0) का स्वैच्छिक उपयोग किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

No. 729/93347/2025

Dated Dehradun, December 01, 2025

NOTIFICATION

In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section (4) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, read with Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, and under the permission granted by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, vide letter number 13(4)/2020-EG-II (Pt) dated September 23, 2025, regarding the use of Aadhaar authentication for citizen-centric services, the Governor is pleased to allow for the voluntary use of the Aadhaar-enabled biometric system (AEBAS) for voluntary Yes/No authentication facility and/or e-KYC authentication to establish the identity of individuals applying for drinking water and sanitation services in the State of Uttarakhand.

By Order,

SHAILESH BAGAUJI,  
Secretary.